भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2385

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उन्मूलन

2385. श्री राजा राम सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 अक्तूबर, 2023 को 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 324 में दिए गए आदेश के अनुसार हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार दिनांक 6.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना एक प्रतिबंधित गतिविधि है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 324/2020 में दिनांक 20.10.2023 के आदेश के माध्यम से एमएस अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013 के अनुसार हाथ से मैला उठाने वालों के नए सर्वेक्षण का निर्देश दिया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सर्वेक्षण संबंधी दिशानिर्देश प्रदान किए गए तथा उनसे जिला स्तरीय

सर्वेक्षण समितियों एवं अन्य समितियों का गठन करने के पश्चात हाथ से मैला उठाने वालों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वालों और अस्वच्छ शौचालयों, यदि कोई हो, का डाटा एकत्र करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल भी तैयार किया गया है।

766 जिलों में से 249 जिलों ने स्वयं को हाथ से मैला उठाने से मुक्त जिला घोषित किया है तथा पोर्टल पर इसका प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया है।

******